1.	योजना का नाम	डॉ. सविता अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	इस योजनान्तर्गत लड़की अथवा लड़का में से कोई एक आवेदनकर्ता अनु.जाति का हो तथा लड़का अथवा लड़की में से कोई एक सवर्ण हिन्दू हो तो विवाह के दो साल के अन्दर आवेदन करने पर 50,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 2006
4.	लाभान्वित वर्ग	अनुसूचित जाति वर्ग
5.	पात्रता	• राजस्थान के स्थायी निवासी एवं स्थायी रूप से निवास करते हैं। • वर की आयु 21 वर्ष एवं वधू की आयु 18 वर्ष से कम न हो। • लड़की अथवा लड़का में से कोई एक आवेदनकर्ता अनुसूचित जाति का हो तथा लड़के अथवा लड़की में से कोई एक सवर्ण हिन्दू हो।
6.	देय सुविधाएं	प्रत्येक विवाह पर विवाह के दो साल के अन्दर आवेदन करने पर 50,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
7.	आवेदन का तरीका	निर्धारित आवेदन पत्र में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर संबंधित जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में जमा करावें।
8.	आवेदन कहाँ किया जावे	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला अधिकारी से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर आवेदन किया जा सकता है।
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति जाति प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन का मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित संयुक्त फोटो
10.	सम्पर्क सूत्र	जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग